

न्यायालय :- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)

शृंखला न्यायालय बैहर
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

नियमित व्यवहार अपील क्र.- 30 / 2017

Filing No-. R.C.A./209/2017

CNR MP50050018462017

संस्थित दिनांक -14.08.2015

शंकरलाल पिता मंशाराम उम्र 40 वर्ष जाति गोंड

निवासी-ग्राम थुरेमेटा तहसील बैहरजिला बालाघाट - - - अपीलार्थी

- / / विरुद्ध / / -

- 1- खेमसिंह पटले पिता दुर्जन उम्र 45 वर्ष जाति पंवार
 - 2- चंदूलाल पिता जीवनलाल उम्र 60 वर्ष जाति पंवार
 - 3- धामेश्वर पिता दुर्जन उम्र 35 वर्ष जाति पंवार
 - 4- महेश पिता दुर्जन उम्र 32 वर्ष जाति पंवार
 - 5- श्रीमती केशरबाई पति दुर्जन उम्र 60 वर्ष जाति पंवार
 - 6- सभी निवासी-ग्राम थुरमेटा तहसील बैहर जिला बालाघाट
- M0प्र0 शासन द्वारा :-

कलेक्टर, जिला बालाघाट (म.प्र.)- - - उत्तरवादीगण

=====

{न्यायालय: व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर जिला बालाघाट तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री सिराज अली द्वारा व्य.वाद क्रमांक 53ए/2014 शंकरलाल बनाम खेमसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.07.2015 से क्षुब्ध होकर धारा 96 व्य.प्र.सं. के तहत अपील पेश की है}

=====

श्री दीपक पंचभावे/श्रीमती रंजना पंचभावे अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।
उत्तरवादीगण पूर्व से अनुपस्थित।

=====

- / / / निर्णय / / / -

(आज दिनांक **08 नवम्बर 2017** को घोषित)

1. अपीलार्थी ने यह नियमित व्यवहार अपील न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर जिला बालाघाट तत्कालीन पीठासीन अधिकारी {श्री सिराज अली} द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 53ए/2014, शंकरलाल बनाम खेमसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.07.2015 से परिवेदित होकर यह नियमित अपील पेश की है।

2. स्वीकृत तथ्य यह है कि वादी एवं प्रति.क. 3 से 5 ग्राम थुरेमेटा तहसील बैहर जिला बालाघाट के स्थायी निवासी है। वादी की जाति गोंड है

तथा प्रति.क. 1 से 5 पंवार जाति के है, वे एक ही परिवार के सदस्य है। वादभूमि कृषि प्रयोजन की भूमि होने से प्रति.क. 6 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त संपत्ति ख.क. 39/2 एवं ख.क. 39/3 मौजा थुर्रेमेटा प.ह.न. 47 रा.नि.मं. बिरसा तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित है।

3. विचारण न्यायालय के समक्ष पेश मूल वाद का सार यह है कि वादी शंकरलाल की जाति गोंड है। प्रति.क. 1 से 5 की जाति पंवार है। म.प्र. राज्य को वादभूमि कृषि भूमि होने से पक्षकार बनाया गया है। ग्राम थुर्रेमेटा प. ह.न. 47 रानिम बिरसा तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित ख.क. 39/2 रकबा 0.44 एकड़ (0.178 हेक्टे.), ख.क. 39/3 रकबा 0.06 एकड़ (0.024 हेक्टे.) भूमि स्थित है, 06 डिसमिल भूमि के उत्तर में कच्चा रास्ता, दक्षिण में कच्चा रास्ता, पूर्व में सरकारी भूमि, पश्चिम में मंसाराम की भूमि स्थित है। ख. क. 39/2 रकबा 44 डिसमिल के उत्तर में मंसाराम की भूमि दक्षिण में जीवन की भूमि, पूर्व में अगनू की भूमि तथा पश्चिम में कच्चा रास्ता स्थित है। दिनांक 29.09.1997 को दोनों भूमियां कन्हैया सिंह सिंधी, प्रकार कुमार, राजेश कुमार पिता राजकुमार सिंधी से क्रय कर खरीदी दिनांक से शांति पूर्ण कब्जे में वादी चला आ रहा है। दोनों भूमियां एक-दूसरे से लगी है।

4. प्रति.क. 1 से 5 ने एकराय होकर दिनांक 18.12.2006 को वादभूमि पर आए और कहने लगे कि यह उनकी जमीन है, यहां से डेरा उठा लो, उन्होंने वादी को धमकी दी कि जमीन का कब्जा नहीं छोड़ा तो जान से खत्म कर देंगे, अश्लील गालियां दी। वादी की मील को तोड़फोड़ देंगे, भयानक परिणाम होगा। प्रतिवादीगण को अनाधिकृत प्रवेश करने से नहीं रोका गया तो अपरिमित क्षति होगी। प्रतिवादीगण को उनके मातहत कर्मचारियों को हमेशा-हमेशा रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। वादभूमि सीलिंग एक्ट में नहीं आती है, कोई मामला नहीं चला है। सीलिंग एक्ट के प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता है। स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 1000/-रुपए अदा कर 100/-रु. न्यायालय शुल्क चस्पा है, दावा डिक्री किए जाने की याचना की है।

5. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने स्वीकृत तथ्य को छोड़कर वादपत्र में किए गए संपूर्ण तथ्यात्मक एवं आक्षेपयुक्त अभिवचनों को कंडिकावार अस्वीकार किया है और लेख किया है कि प्रति.क. 5 उसके पुत्र प्रति.क. 1 के साथ रायपुर में निवास कर रही है। प्रति.क. 4 रायपुर में निवास कर नौकरी कर रहा है। प्रति.क. 1 बीस वर्षों से रायपुर में शिक्षक है। प्रति.क. 2, प्रति.क. 1, 3 व 4 के बड़े पिता है जो अलग निवास करते हैं। ख.क. 39/3 के उत्तर दिशा में कच्चा रास्ता न हो करके विवादित ख.क. 39/2 की भूमि है। इसके पूर्व में सरकारी भूमि नहीं है। पश्चिम में मंसाराम की भूमि न होकर ख.क. 39/5 की भूमि के बाद पश्चिम दिशा की ओर रास्ता है जो थुर्रेमेटा से ग्राम मंडई की

ओर जाता है। दक्षिण में जीवन की भूमि न होकर सर्वे क्रमांक 39/5 है। विवादित भूमि की चतुर्सीमा गलत दर्शायी गई है। वादीगण ने वादपत्र में मनगढ़ंत अभिवचन किए हैं, कोई घटना कारित नहीं हुई है, झूठा वाद पेश किया है। प्रति.क. 1, 3, 4 की भूमि ख.क. 39/5 की भूमि पर जबरन कब्जा कर वादी हड़पना चाहता है, आदिवासी एक्ट में फंसाने की कोशिश करता है, प्रति.क. 1, 3, 4 की भूमि पर वादी जबरन कब्जा न कर ले इसलिए प्रतिदावा पेश करता है किंतु प्रतिदावे पर न्यायालय शुल्क अदा नहीं है।

6. प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 ने पृथक वादोत्तर पेश किया है जो प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा पेश वादोत्तर के अभिवचनों के समान होने से पुनरावृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

7. प्रतिवादी क्रमांक 1 के प्रतिदावे का उत्तर वादी के द्वारा पेश किया गया है, प्रतिवादी क्रमांक 3, 4 के प्रतिदावे का उत्तर वादी द्वार समुचित रूप से पेश किया गया है किंतु प्रतिदावों पर न्यायालय शुल्क चस्पा न होने से प्रतिदावे में पढ़ने योग्य नहीं है, इसलिए उत्तर लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

8. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन न कर विधि विरुद्ध ढंग से निर्णय, डिक्री पारित की है, अपीलीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 30.08.12 को इस निर्देश के साथ रिमांड किया है कि सीमांकन कराकर नये सिरे से गुणदोष के आधार पर निराकरण किया जावे, शंकरलाल के द्वारा कय की गई भूमि पर काबिज है, अपीलार्थी वादभूमि के कब्जे में है, उत्तरवादी क्रमांक 1, 3, 4 ने कुछ हिस्से में हस्तक्षेप किए जाने के कथन किए हैं, इसके उपरान्त भी दावा अस्वीकार कर निरस्त कर त्रुटि की है, सीमांकन रिपोर्ट पेश है, विवादित भूमि राजस्व अभिलेख और कय की गई भूमि के विक्रय पत्र से मेल नहीं खाती है, वादप्रश्न क्रमांक 1 प्रमाणित मानकर त्रुटि की है, प्रति.क. 1 से 5 अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं, वादी साक्ष्य से प्रमाणित है जिसे न मानकर त्रुटि की है, वाद स्वीकार कर स्थायी निषेधाज्ञा जारी न कर तथ्य, विधि की त्रुटि की है, प्रश्नाधीन निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 21.07.2015 को अपास्त कर दावा डिक्री किए जाने की याचना की है।

9. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-

क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने व्य.वा.क. 53ए/2014 शंकरलाल बनाम खेमसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 21.07.2015 में तथ्य की, विधि की त्रुटि तथा साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि किए जाने से उक्त निर्णय एवं आज्ञाप्ति हस्तक्षेप योग्य है ?

10. अपील में उभयपक्ष के द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया।

11. प्र.पी. 1 लगायत प्र.पी. 13 की दस्तावेजी साक्ष्य का अध्ययन किया गया। प्र.डी. 1 व प्र.डी. 2 की दस्तावेजी साक्ष्य का अध्ययन किया गया। प्र.पी. 3-सी, प्र.पी. 4-सी की दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार क्रेता शंकरलाल जो कि वादी है, ने कन्हैया सिंधी और प्रकाश व राजेश सिंधी से क्रमशः ख.क्र. 39/3 रकबा 0.6 एकड़, ख.क्र. 39/2 रकबा 0.44 एकड़ भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। इस प्रकार वह इन दोनों भूखंडों का क्रय दिनांक से भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है।

12. शंकरलाल (वा.सा.1), गुहरालाल (वा.सा.2), झाड़ूलाल (वा.सा.3) के आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत पेश मुख्य कथनों के पश्चात् आमिर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंपनी विरुद्ध शापुरजी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड ए.आई.आर.2004 सु.को. 355 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुरूप न्यायालय के द्वारा टीप अंकित न किए जाने से उनके मुख्य कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

13. शंकरलाल (वा.सा.1) ने न्यायालय के समक्ष शपथ पर लेख कराए गए कथन के पद क्रमांक 6 में प्र.पी. 1 लगायत प्र.पी. 6 के दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित कराया है जिनका विवरण लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है। गुहरालाल (वा.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में स्वीकार किया है कि वादभूमियों के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में किसकी भूमि है वह नहीं जानता। पद क्रमांक 5 में स्वीकार किया है कि वादी की जमीन से लगी हुई जमीन प्रतिवादीगण की है। यह स्वीकार किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक-दूसरे की जमीन में प्रवेश न करो कहकर विवाद करते हैं। यह स्वीकार किया है कि शंकरलाल ने जैसा बयान देने बोला था वैसा उसने बयान दिया है। झाड़ूलाल (वा.सा.3) परीक्षण के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं है इसलिए उसकी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।

14. महेश (प्रति.सा.1), शंकरलाल पटले (प्रति.सा.2) के आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत पेश मुख्य कथनों के पश्चात् आमिर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंपनी विरुद्ध शापुरजी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड ए.आई.आर.2004 सु.को. 355 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुरूप न्यायालय के द्वारा टीप अंकित न किए जाने से उनके मुख्य कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

15. महेश (प्रति.सा.1) ने न्यायालय के समक्ष शपथ पर लेख कराए मुख्य कथन के अंत में प्र.डी. 1, प्र.डी. 2 के दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में स्वीकार किया है कि उसके दादा जीवनलाल ने कन्हैयालाल सिंधी को बेच दिया था उस पर सिंधी की मील थी। उस

कन्हैयालाल ने वादी शंकरलाल को मील सहित जमीन बेच दी। करीब 50 डिसमिल जमीन कन्हैया ने वादी को बेची थी जो दो भागों में है, खसरा नंबर अलग अलग है। यह स्वीकार किया है कि शंकरलाल ने ही उस जमीन पर काबिज है। वादी शंकरलाल धान मील चलाता है। खरीदी गई जमीन में 3 कमरे हैं जिसमें से एक में रहता है, दूसरे में मील चलाता है, तीसरे में धान रखता है। पद क्रमांक 5 में साक्ष्य दी है कि जब वादी ने कन्हैया से जमीन खरीदी थी तब साक्षी नहीं था। यह इंकार किया है कि वर्ष 2006 में यह कहा था कि तुम डेरा उठाओ। वादी की भूमि में हस्तक्षेप करना इंकार किया है।

16. शंकरलाल पटले (प्रति.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में साक्ष्य देकर कथन किया है कि उसने न्यायालय में लिखित बयान नहीं दिया है। यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध पहली बार बयान दे रहा है। यह स्वीकार किया है कि इसके पूर्व लिखित में कोई हलफनामा इस न्यायालय में आया हो तो, गलत है। यह स्वीकार किया है कि शंकरलाल की ग्राम थुरेमेटा में करीब 50 डिसमिल जमीन है। यह स्वीकार किया है कि वादी, प्रतिवादीगण का जमीन के संबंध में विवाद हुआ था उसके बाद कोर्ट में आए। शंकरलाल ने पहले केस लगाया था। स्वतः कहा कि कोई धमकी, चमकी या मारपीट नहीं हुई थी। यह स्वीकार किया है कि शंकरलाल के वाद लाने के बाद जमीन के संबंध में वाद, विवाद झगड़ा नहीं हुआ।

17. दामोदरप्रसाद पिता पी.सी. दुबे महेश राजस्व निरीक्षक कार्यालय राजस्व निरीक्षक बिरसा जिला बालाघाट का परीक्षण न्यायालय साक्षी क्रमांक 1 के रूप में हुआ है, ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि न्यायालय के आदेशानुसार विवादित भूमि का स्थल निरीक्षण किए जाने हेतु दिनांक 24.06.14 को पंचो के समक्ष स्थल पंचनामा प्र.पी. 7 का तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नजरीनक्शा प्र.पी. 8 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। निरीक्षण और सीमांकन कार्यवाही किए जाने के पूर्व पक्षकारों और पंचों को सूचना दी गई थी जो प्र.पी. 9 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। स्थल निरीक्षण उपरांत तैयार प्रतिवेदन प्र.पी. 10 है जिसपर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18. वादी की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में इंकार किया है कि शंकरलाल के द्वारा जो विक्रय पत्र दिनांक 26.09.1997 एवं दिनांक 29.09.1997 में दर्शित चतुर्सीमा के अनुसार ही शंकरलाल वर्तमान में काबिज है। पद क्रमांक 3 में स्वतः कथन किया है कि उसने रास्ते की जमीन से और मेड़ से मिलान किया था जिसके आधार पर ख.क्र. 39/5 की 2 डिसमिल भूमि पर शंकरलाल ने नया निर्माण किया है वाली बात दर्ज की है।

19. प्रति.क. 1, 2, 3 की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि ख.क्र. 39/2, 39/3 का जो राजस्व नक्शा है कि उस

भूमि पर शंकरलाल काबिज नहीं है बल्कि अन्य भूमि पर काबिज है। शंकरलाल के द्वारा कय की गई भूखंड के उत्तर दिशा में लगा हुआ रास्ता नहीं है। यह स्वीकार किया है कि ख.क. 39/3 के दक्षिण में कच्चा रास्ता नहीं है। इस भूमि के पश्चिम में मंसाराम की भूमि नहीं है। शंकरलाल के द्वारा कय की गई दोनों भूमियों के किसी भी दिशा में मंसाराम की भूमि नहीं है। उक्त दोनों के भूखंड के किसी भी दिशा में रास्ता नहीं है। इसी पद में स्वीकार किया है कि सीमांकन करने पर ख.क. 39/5 का रकबा 5.61 एकड़ अभिलेख के अनुसार पाया गया था जो खेमसिंह, थामेश्वर, महेश के भूमि स्वामित्व की भूमि है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5, 6 में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि वादी के कब्जे में वर्तमान में 48 डिसमिल भूमि है। भूमि के पूर्व में जो 2 डिसमिल में मकान निर्माण कराया जा रहा था वह खेमसिंह की भूमि है। अंत में स्वीकार किया है कि शंकरलाल की 2 डिसमिल भूमि कब्जे में कम पायी गई है।

20. मूल वाद में निर्मित वादप्रश्नों का निराकरण अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वादी की वादग्रस्त भूमि के उत्तर में कच्चा रास्ता/मार्ग होने के संबंध में प्र.पी. 6 के नक्शा प्रति में उल्लेख नहीं है किंतु ख.क. 39/3, 39/2 के उत्तर में सरहदी रास्ता होना हल्का पटवारी ने दर्शाया है किंतु हल्का पटवारी के कथन वादी ने धारा 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की मंशानुसार न्यायालय के समक्ष कराकर प्र.पी. 6 के नक्शे को विधि अनुसार प्रमाणित नहीं कराया है इसलिए अभिलेख पर तथ्य प्रमाणित न होने से विद्वान विचारण न्यायालय ने वादप्रश्न क्रमांक 1 को प्रमाणित न मानकर कोई त्रुटि नहीं की है। वादप्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 को प्रमाणित न मानकर तथ्य की, विधि की तथा साक्ष्य के मूल्यांकन की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है इसलिए प्रश्नाधीन निर्णय व आज्ञाप्ति दिनांक 21.07.2015 में हस्तक्षेप किए जाने की विधिक आवश्यकता नहीं है।

21. अतः प्रस्तुत नियमित व्यवहार अपील स्वीकार किए जाने योग्य न होने से, सारहीन होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

{अ} उभयपक्ष अपना-अपना अपील व्यय वहन करेंगे।

{ब} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।

{स} तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

22. निर्णय की एक प्रति संबंधित न्यायालय की ओर मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर भेजी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

Sd/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर

Sd/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर

DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE

(Civil Procedure Code, 1908, Order XLI, Rule 35)

CIVIL APPEAL No. RCA 30 OF 2017

IN THE COURT OF द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर
{पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़}

शंकरलाल पिता मंशाराम उम्र 40 वर्ष जाति गोंड
निवासी-ग्राम थुरमेटा तहसील बैहरजिला बालाघाट — — — अपीलार्थी

—// विरुद्ध //—

- 1— खेमसिंह पटले पिता दुर्जन उम्र 45 वर्ष जाति पंवार
- 2— चंदूलाल पिता जीवनलाल उम्र 60 वर्ष जाति पंवार
- 3— धामेश्वर पिता दुर्जन उम्र 35 वर्ष जाति पंवार
- 4— महेश पिता दुर्जन उम्र 32 वर्ष जाति पंवार
- 5— श्रीमती केशरबाई पति दुर्जन उम्र 60 वर्ष जाति पंवार
सभी निवासी-ग्राम थुरमेटा तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 6— म0प्र0 शासन द्वारा :-
कलेक्टर, जिला बालाघाट (म.प्र.)— — — उत्तरवादीगण

=====

Appeal from the decree of the Court व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग — 2 बैहर जिला बालाघाट dated the
21 day 07-2015 Civil Suit No.53A... of 2014.

This appeal coming on for hearing on the 06 day of NOVEMBER 2017
before me in the presence of-

श्री दीपक पंचभावे / श्रीमती अंजना पंचभावे अधिवक्ता for the appellant and of
पूर्व से अनुपस्थित। for the respondents

It is ordered and decreed that -

प्रस्तुत नियमित व्यवहार अपील स्वीकार किए जाने योग्य न होने
से, सारहीन होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

- {अ} उभयपक्ष अपना-अपना अपील व्यय वहन करेंगे।
- {ब} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।
- {स} तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

The costs of this appeal, as detailed below amounting to Rupees अपना-अपना are to be Paid by the Appellants.

~~The cost of the original suit be paid by the~~

Given under my hand and the seal of the Court, this **08 day of November. 2017.**

Sd/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

COSTS OF APPEAL

	Appellant	Amount	Respondent	Amount
1.	Stamp for memorandum of appeal objections or Petitions	100.00	-	
2.	Stamp for Power	10.00	Stamp for Power	10.00
3.	Stamp for Exhibits	-	Stamp for Petition	-
4.	Service of Processes		Service of Processes	-
5.	Pleader's Fee on Rs..... (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	100.00	Pleader's fee on Rs. (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	100.00
6.	Court Fee on Interim App. & Affidavit.	-	Court Fee on Interim App. & Affidavit.	-
7.	Translation Fee	-		
	Total :-	210.00	Total :-	110.00
	(दो सौ दस रुपए सिर्फ)		(एक सौ दस सिर्फ)	

Sd/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

प्रतिलिपि:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर की ओर मूल अभिलेख संलग्न कर नतीजा दर्ज करने सूचनार्थ प्रेषित।

माखनलाल झोड़

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर